भारत में अनुसूचित जनजातीयों की स्थिति :एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

राजेन्द्र सिंह (शोध छात्र),
समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग,
बिडला परिसर, हे०न०ब० गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय,
श्रीगनर (गढ़वाल), उत्तराखण्ड।

डॉ० जे0 पी0 भट्ट (असिस्टेंट प्रोफेसर),
समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग,
बिडला परिसर, हे०न०ब० गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय,
श्रीगनर (गढ़वाल), उत्तराखण्ड।

सारांश

प्रस्तुत लेख के अन्तर्गत जनजातीयों से संबंधित तथ्यों को उजागर किया गया है। जिसमें जनजातीयों की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें समस्त तथ्य द्वितीय आंकड़ों से संबंधित हैं। वर्तमान में जनजातीयों की स्थिति में काफी बदलाव आया है और समय के साथ थोड़ी बहुत समस्याएं भी उजागर हुई हैं। जहाँ तक इनकी स्वायत्ता का प्रश्न है यह तभी संभव है जब जमीनी स्तर के समुदायों में इसके प्रति जागरूकता लाई जाए। अंततः विकास के मॉडल में जनजाति समुदाय से जुड़े पहलुओं को शामिल करना बेहद जरूरी है।

Keywords: *जनजाति, अवधारणा, संवैधानिक व्यवस्थाएँ, भारत।*

प्रस्तावना

भारतीय समाज की महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अनेक प्रजातिय तत्वों का समावेश है, जिसमें भिन्न–भिन्न तरह के मानवीय समूह निवास करते हैं और इनमें से एक समूह ऐसा है जो आज भी सभ्यता के आदिम स्तर पर जीवन जीने के लिए विवश है। भारत में जनजातीयों को अनेक नामों से संबोधित किया जाता है; जैसे–वनवासी, वनमानव तथा आदिमानव इत्यादि लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार इन्हें अनुसूचित जनजाति ही कहा जाता है।

दुनिया के 60 से अधिक देशों में लगभग 150 मिलियन जनजातीयाँ निवास करती हैं जिनमें से संभवतः सबसे बड़ी संख्या भारत में निवास करती है। भारत में जनजातीयों की संख्या लगभग साढ़े आठ करोड़ के आसपास है जो देश की कुल जनसंख्या के 8 प्रतिशत के आसपास है। भारत में 90 प्रतिशत से ज्यादा जनजातीय जनसंख्या गाँवों एवं जंगलों में निवास करती हैं और लगभग आठ से दस प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करती हैं। भारत की जनजातीयों का सर्वाधिक संकेंद्रण मध्य प्रदेश में है जहाँ 1.22 करोड़ लोग अनुसूचित जनजाति के हैं, इसके बाद महाराष्ट्र (85.77 लाख), ओडिशा (81.45 लाख), गुजरात (74.81 लाख) तथा राजस्थान (70.97 लाख) का स्थान आता है लेकिन कुल जनजातीय प्रतिशत के अनुसार यह मिज़ोरम (94.5%) और लक्षद्वीप (94.5%) में सर्वाधिक है इसके बाद नागालैंड (89.1%) और मेघालय (85.9%) आते हैं। मुख्य बात यह है कि देश की 68 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या केवल सात राज्यों में निवास करती है।[1]

देश के मध्य और पश्चिमी प्रदेश में जनजाति समाज की लोकतांत्रिक गतिविधियाँ और

उनके विकास पर यदि नजर डालें तो यह पाएंगे कि देशभर में यदि कोई आदिवासी बहुल राज्य सुखद अनुभूति देता है तो वह पूर्वोत्तर के ही राज्य हैं, जो जनजाति बहुल राज्य हैं। अतः भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति ही सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक विकास का आधार है, इसीलिए भारतीय संसदीय व्यवस्था में समाज के विभिन्न जातीय समूहों के लिए प्रतिनिधत्व सुनिश्चित किया गया है।

अनुसूचित जनजाति को संविधान में कुछ सुरक्षाएँ दी गयी हैं और इसलिए इनकी जनगणना भी की जाती है। भारतीय संविधान में मूलरूप से 14 राज्यों की 212 जनजातीयों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। 1976 के संविधान संशोधन द्वारा अधिकतर जनजातीयों पर से क्षेत्रीय प्रतिबन्ध उठा लिए गये। अनुसूचित जनजातीयों की सूची में अब सम्पूर्ण भारत में रहने वाली लगभग 550 जनजातीयाँ शामिल हैं। यह समूह पिछले कई वर्षों से शोषण के शिकार भी रहे हैं। इनमें से अधिकांश लोग अनपढ़ होते हैं, लेकिन पारम्परिक ज्ञान भरपूर मात्रा में होता है। ज्यादातर अनुसूचित जनजातीयाँ गरीब होती हैं और इनके विकास के स्रोत भी बहुत थोड़े होते हैं। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातीयों के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ताकि इनके सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सके।[2]

अवधारणात्मक एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण

'इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया' ने जनजातीयों को परिभाषित करते हुए लिखा है कि, ''जनजाति से तात्पर्य समान नाम धारण करने वाले परिवारों का एक संकलन है, जो समान बोली बोलते हों, एक ही भूखण्ड पर अधिकार करने का दावा करते हों अथवा दखल रखते हों तथा जो साधारणतया अन्तःविवाही न हों, यद्यपि मूल रूप में चाहें वैसे रह रहे हों।''[3]

डी०एन० मजूमदार ने जनजातीय समाजों की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है–जनसंख्या का छोटा आकार तथा समजातीय स्वरूप, संगठित नातेदारी व्यवस्था, समान भूखण्ड में निवास, समान भाषा तथा संस्कृति, सम्पत्ति पर संयुक्त स्वामित्व, उत्पादन की प्राचीन प्रणाली, प्राचीन धर्मों के अनुयायी, परम्परावादी तथा रूढ़िवादी। इन विशेषताओं के आधार पर जनजातीयों को तीन मण्डलों में वर्गीकृत किया जा सकता है–पहला, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी मण्डल, जिसमें डाफलामीरी, गुरूंग, आपातीनी, मिश्मी, कुकी, लुशाई, खासी, तथा गारो जनजातीयाँ आती हैं। लेप्चा, थारू, भोकसा, खासा आदि महत्त्वपूर्ण जनजातीयाँ भी इसी क्षेत्र में पायी जाती हैं। दूसरा, केन्द्रीय अथवा मध्य मण्डल, इसमें खारिया, गोंड, भुइयाँ, मुण्डा, सन्थाल, ओराँव, हो व बिरहोर जनजातीयाँ पायी जाती हैं। तीसरा, दक्षिणी मण्डल, जिसके अन्तर्गत जारवा, ओंगे, उत्तरी सेण्टीनलीज, अण्डमानी, शाम्पेन तथा निकोबारी हैं।[4]

गिलिन और गिलिन ने जनजाति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि, ''स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को, जोकि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं।[5]

रिवर्स ने सामान्य निवास–स्थान को महत्त्व न देते हुए ''जनजाति को ऐसे सरल प्रकार का सामाजिक समूह बताया है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हों तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हों।'' इस परिभाषा में सामान्य निवास–स्थान को सम्भवतः इसलिए महत्त्व नहीं दिया है क्योंकि अनेक जनजातीयाँ घुमन्तू या खानाबदोश होती हैं। परन्तु इस संबंध में मजूमदार का कथन है कि इसका यह अभिप्राय नहीं की जनजातीयों का अपना एक सामान्य क्षेत्र

नहीं होता। घुमन्तु प्रकृति का होते हुए भी उनका एक विशिष्ट निवास–स्थान होता है।[6]

एस०सी० दुबे ने निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर जनजातीय लोगों को अन्य लोगों से पृथक किया है–भाषा, प्रथा आदि के आधार पर, आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास के निम्न स्तर के आधार पर, पृथकता का जीवन व्यतीत करने के आधार पर और पौराणिक गाथाओं में ही उनके अस्तित्व का इतिहास मिलने के आधार पर। वहीं बी०एस० गुहा ने भारतीय जनजातीयों की प्रजातीय रचना की दृष्टि से इन्हें तीन भागों में बाँटा है–(1) प्रोटो एस्टोलाएड–भारत के मध्य क्षेत्र में यह सर्वाधिक पाये जाते हैं। इनकी त्वचा–काली, नाक–चपटी, माथा–संकीर्ण, बाल–घुँघराले तथा धँसे हुये और कद–छोटा होता है। (2) मंगोलाएड–उत्तर–पूर्व की जनजातीयाँ, उत्तराखण्ड तथा हिमालय की कुछ जनजातीयाँ इसके अन्तर्गत आती हैं। इनकी त्वचा–पीली, आँखे–छोटी, नाक–धंसी हुयी, बाल–सीधे तथा कद–छोटे होते हैं। (3) नीग्रेटो–नीग्रेटो, भारत की प्राचीनतम प्रजाति के अन्तर्गत आती है। इनकी त्वचा–काली, नाक–चौड़ी, होंठ–मोटे तथा कद–लम्बा होता है। भाषा के आधर पर भी समाजशास्त्री इन्हें तीन भाषा परिवारों में बाँटते हैं–(1) द्रविड़ (इसके अन्तर्गत तमिल, तेलगु, कन्नड़ तथा मलयालम आती हैं।), (2) आस्ट्रिक (इसके अन्तर्गत मुण्डा भाषा परिवार की बोलियाँ आती हैं।), (3) तिब्बती (इसके अन्तर्गत मंगोल प्रजाति समूह की अधिकांश जनजातीयों द्वारा बोली जाने वाली बोलियाँ आती हैं।)[7]

जनजातीयों के युवागृह

जनजातीयों में युवागृह भी पाये जाते हैं, यह वह स्थान हैं जहाँ किसी योग्य व्यक्ति के निर्देशन में युवक–युवतियाँ भविष्य में आने वाली भूमिकाओं का सामाजीकरण करते हैं। जैसे–गौंड–घोटुल (युवागृह)। अतः जनजातीयों के युवागृह निम्न हैं–

तालिका–1

जनजातीयों के युवागृह

क्र०सं०	युवागृह का नाम	जनजाति
1	रंगबंग	भोटिया
2	घोटूल	मूरिया, गोंड
3	मोरंग	नागा
4	आरचू	आयो नागा
5	बान	कोन्यक नागा
6	बुकुमाटुला	ट्रोबिएण्ड द्विपवासी
7	किचूकी	अन्गमी नागा
8	धनगरबासा	भूइँया
9	जोंकेरपा / धुमकुरिया	ओराँव
10	गिटियोरा	मुण्डा तथा हो
11	इखुची / इलोची	मेमिस

जनजाति अपने सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति टोटम, युवागृह, धर्म तथा जादू–टोने द्वारा करते हैं। वहीं इनकी राजनैतिक व्यवस्था इनके औपचारिक मुखिया द्वारा क्रियान्वित होती है जिसे शीर्ष या सिफैलस कहते हैं। इसके विपरीत कहीं अशीर्ष या एसीफैलस व्यवस्था देखने को मिलती है अर्थात् बिना किसी मुखिया के व्यवस्था।

जनजाति की प्रमुख विशेषताएँ :

1. जनजाति अनेक परिवारों या परिवारों के समूहों का एक संकलन होता है।
2. प्रत्येक जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा होती है।
3. प्रत्येक जनजाति का एक विशिष्ट नाम होता है।
4. जनजाति की एक अन्य विशेषता यह है कि यह एक निश्चित भू–भाग पर रहती है। सामान्य भू–भाग के आधार पर सामुदायिक भावना भी दृढ़ हो जाती है।
5. एक जनजाति प्रायः एक अन्तर्विवाही समूह होता है। प्रारम्भ में सब जन–जातियाँ अपनी ही जनजाति में विवाह करती थीं; परन्तु आधुनिक युग में यातायात के साधनों की उन्नति के साथ प्रत्येक जनजाति का पड़ोसी जनजातीयों में सम्पर्क बढ़ गया है जिसके फलस्वरूप अनेकों जनजातीयाँ अपने जनजातीय समूह से बाहर भी विवाह–संबंध स्थापित कर लेती हैं।
6. एक जनजाति के सदस्यों में पारस्परिक आदान–प्रदान के कुछ सामान्य नियम और निषेध होते हैं जिनकों कि प्रत्येक सदस्य को मानना पड़ता है और जिनके आधार पर इसके व्यवहार नियन्त्रित होते हैं।
7. एक जनजाति की एक सामान्य संस्कृति होती है और बाहर के समूहों के विरुद्ध इसके सदस्यों में एकता की भावना भी होती है।
8. जनजाति की एक अन्तिम विशेषता यह है कि प्रत्येक जनजाति का एक राजनीतिक संगठन होता है। मजूमदार के अनुसार जनजाति एक राजनीतिक इकाई इस अर्थ में है कि प्रत्येक जनजातीय समूह का एक राजनीतिक संगठन होता है। प्रत्येक जनजाति का बहुधा अपना एक वंशानुगत मुखिया, प्रधान या राजा होता है जोकि जनजाति के समाज में संबंधित समस्त विषयों का निरीक्षण व शासक होता है। इस संगठन के अन्तर्गत बड़े–बूढ़ों की एक समिति होती है। जो मुखिया को जनजातीय–संबंधी विषयों में और उसकी एकता और संगठन को बनाए रखने के विषय में परामर्श देती है। प्रत्येक सदस्य मुखिया के प्रति आज्ञाकारी और निष्ठावान् होता है।[8]

अनुसूचित जनजातीयों का वर्गीकरण

जनजातीयों का भौगोलिक, प्रजातीय, सांस्कृतिक, भाषा एवं अर्थव्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया गया है जो निम्न है–

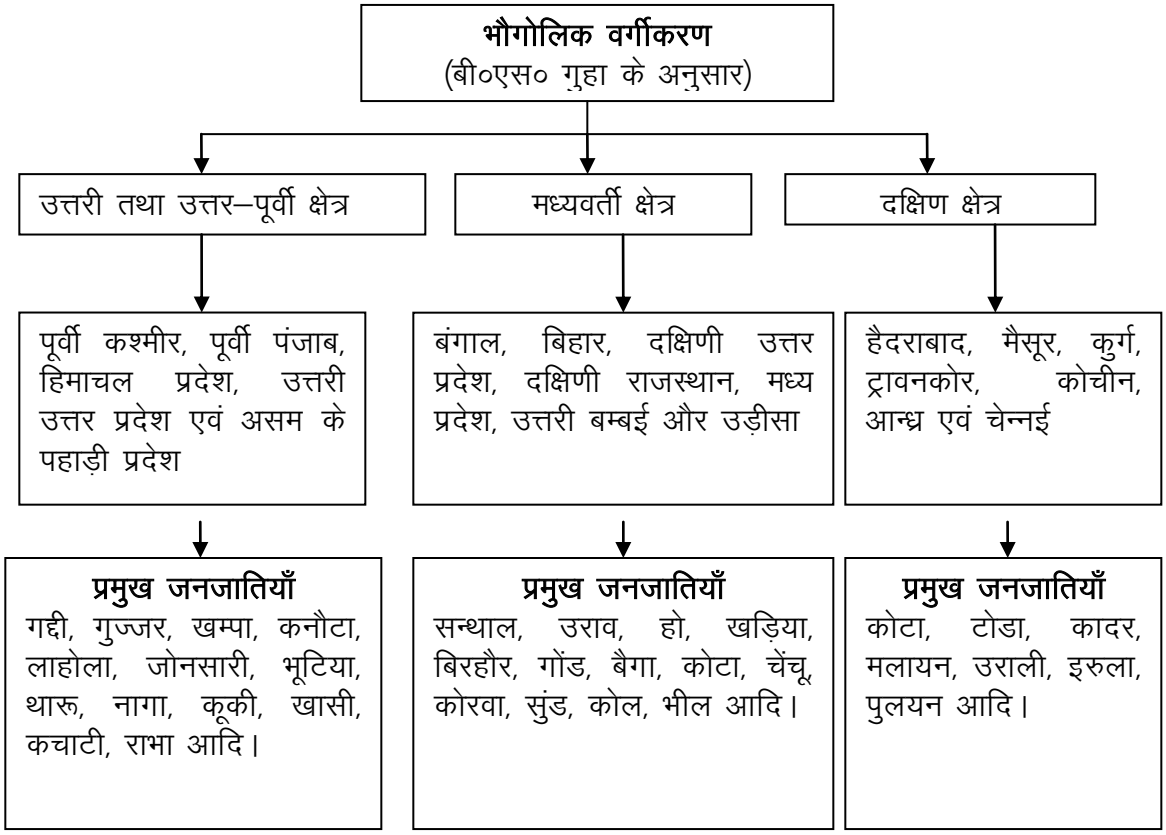
भौगोलिक वर्गीकरण
(बी०एस० गुहा के अनुसार)
उत्तरी तथा उत्तर–पूर्वी क्षेत्र
मध्यवर्ती क्षेत्र
दक्षिण क्षेत्र
पूर्वी कश्मीर, पूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश एवं असम के पहाड़ी प्रदेश
बंगाल, बिहार, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी बम्बई और उड़ीसा
हैदराबाद, मैसूर, कुर्ग, ट्रावनकोर, कोचीन, आन्ध्र एवं चेन्नई
प्रमुख जनजातियाँ
गद्दी, गुज्जर, खम्पा, कनौटा, लाहोला, जोनसारी, भूटिया, थारू, नागा, कूकी, खासी, कचाटी, राभा आदि।
प्रमुख जनजातियाँ
सन्थाल, उराव, हो, खड़िया, बिरहौर, गोंड, बैगा, कोटा, चेंचू, कोरवा, सुंड, कोल, भील आदि।
प्रमुख जनजातियाँ
कोटा, टोडा, कादर, मलायन, उराली, इरुला, पुलयन आदि।

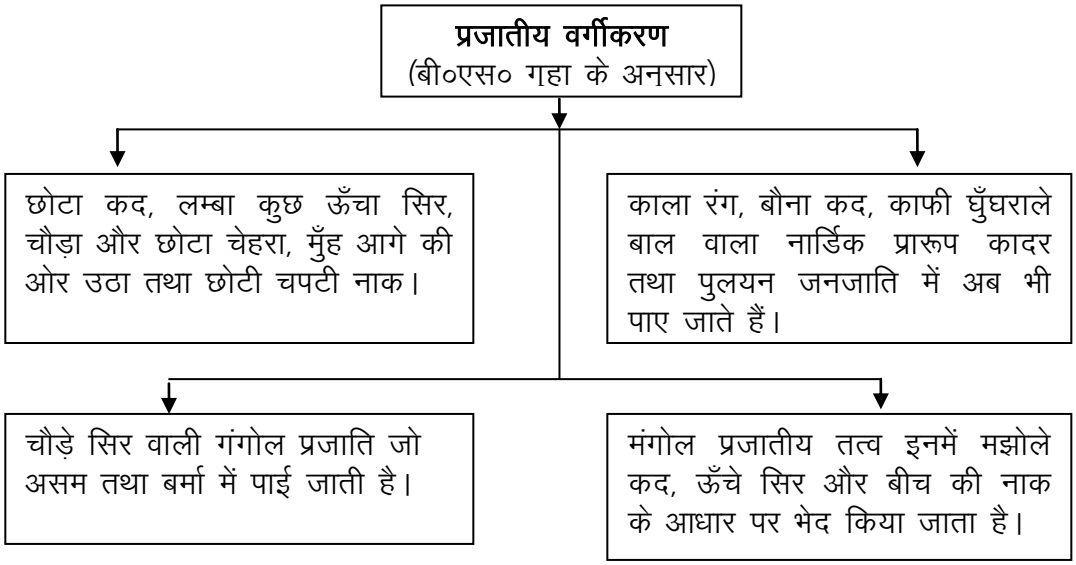
प्रजातीय वर्गीकरण
(बी०एस० गहा के अनसार)
छोटा कद, लम्बा कुछ ऊँचा सिर, चौड़ा और छोटा चेहरा, मुँह आगे की ओर उठा तथा छोटी चपटी नाक।
काला रंग, बौना कद, काफी घुँघराले बाल वाला नार्डिक प्रारूप कादर तथा पुलयन जनजाति में अब भी पाए जाते हैं।
चौड़े सिर वाली गंगोल प्रजाति जो असम तथा बर्मा में पाई जाती है।
मंगोल प्रजातीय तत्व इनमें मझोले कद, ऊँचे सिर और बीच की नाक के आधार पर भेद किया जाता है।

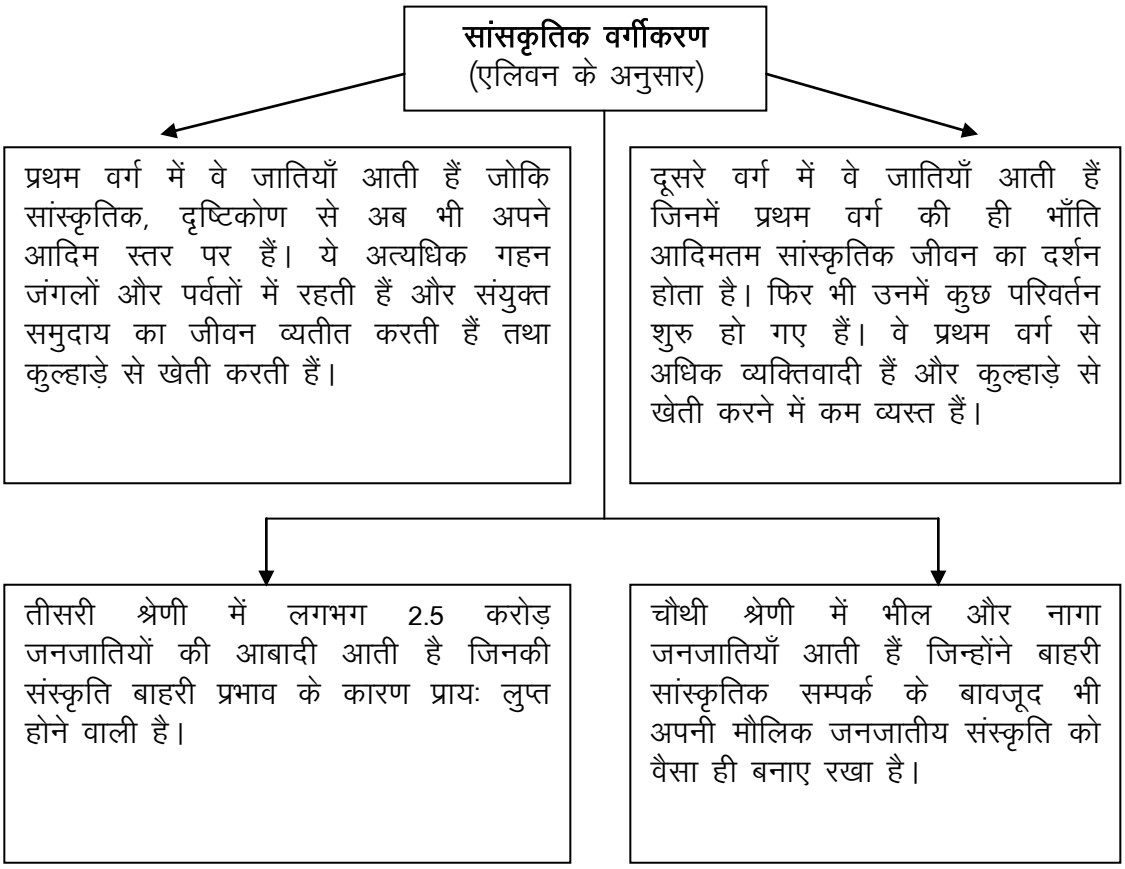
सांसकृतिक वर्गीकरण
(एलिवन के अनुसार)
प्रथम वर्ग में वे जातियाँ आती हैं जोकि सांस्कृतिक, दृष्टिकोण से अब भी अपने आदिम स्तर पर हैं। ये अत्यधिक गहन जंगलों और पर्वतों में रहती हैं और संयुक्त समुदाय का जीवन व्यतीत करती हैं तथा कुल्हाड़े से खेती करती हैं।
दूसरे वर्ग में वे जातियाँ आती हैं जिनमें प्रथम वर्ग की ही भाँति आदिमतम सांस्कृतिक जीवन का दर्शन होता है। फिर भी उनमें कुछ परिवर्तन शुरु हो गए हैं। वे प्रथम वर्ग से अधिक व्यक्तिवादी हैं और कुल्हाड़े से खेती करने में कम व्यस्त हैं।
तीसरी श्रेणी में लगभग 2.5 करोड़ जनजातियों की आबादी आती है जिनकी संस्कृति बाहरी प्रभाव के कारण प्रायः लुप्त होने वाली है।
चौथी श्रेणी में भील और नागा जनजातियाँ आती हैं जिन्होंने बाहरी सांस्कृतिक सम्पर्क के बावजूद भी अपनी मौलिक जनजातीय संस्कृति को वैसा ही बनाए रखा है।

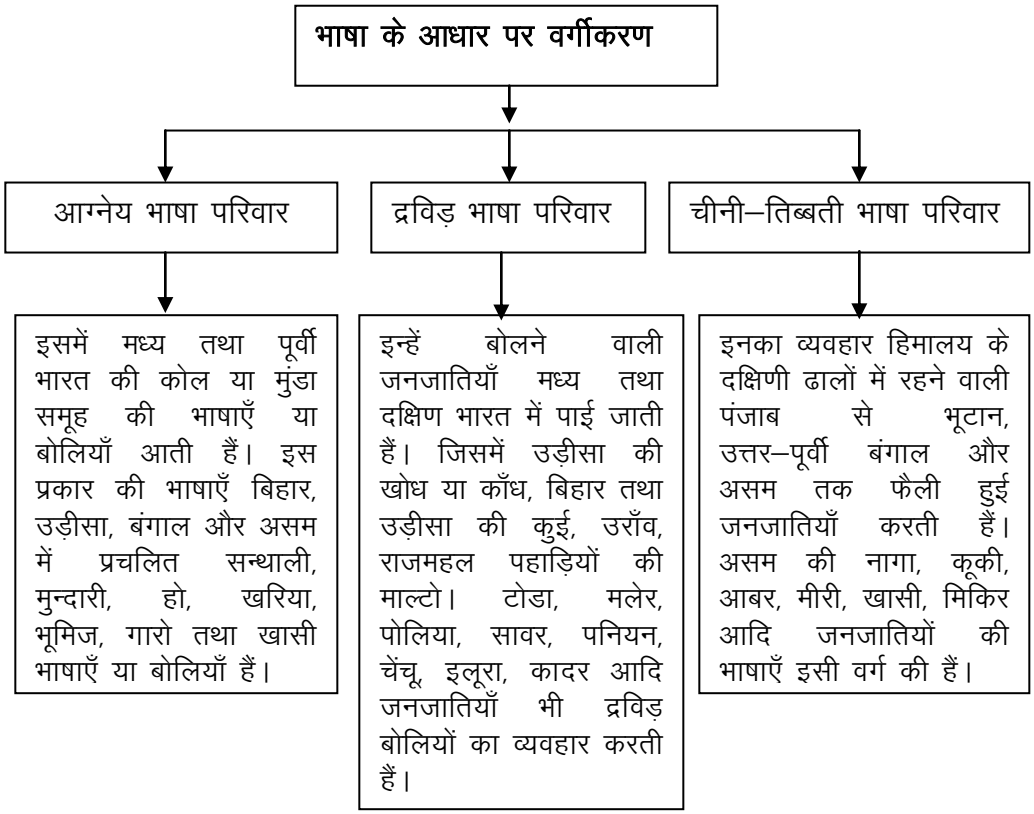
भाषा के आधार पर वर्गीकरण
आग्नेय भाषा परिवार
द्रविड़ भाषा परिवार
चीनी–तिब्बती भाषा परिवार
इसमें मध्य तथा पूर्वी भारत की कोल या मुंडा समूह की भाषाएँ या बोलियाँ आती हैं। इस प्रकार की भाषाएँ बिहार, उड़ीसा, बंगाल और असम में प्रचलित सन्थाली, मुन्दारी, हो, खरिया, भूमिज, गारो तथा खासी भाषाएँ या बोलियाँ हैं।
इन्हें बोलने वाली जनजातियाँ मध्य तथा दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। जिसमें उड़ीसा की खोध या काँध, बिहार तथा उड़ीसा की कुई, उराँव, राजमहल पहाड़ियों की माल्टो। टोडा, मलेर, पोलिया, सावर, पनियन, चेंचू, इलूरा, कादर आदि जनजातियाँ भी द्रविड़ बोलियों का व्यवहार करती हैं।
इनका व्यवहार हिमालय के दक्षिणी ढालों में रहने वाली पंजाब से भूटान, उत्तर–पूर्वी बंगाल और असम तक फैली हुई जनजातियाँ करती हैं। असम की नागा, कूकी, आबर, मीरी, खासी, मिकिर आदि जनजातियों की भाषाएँ इसी वर्ग की हैं।

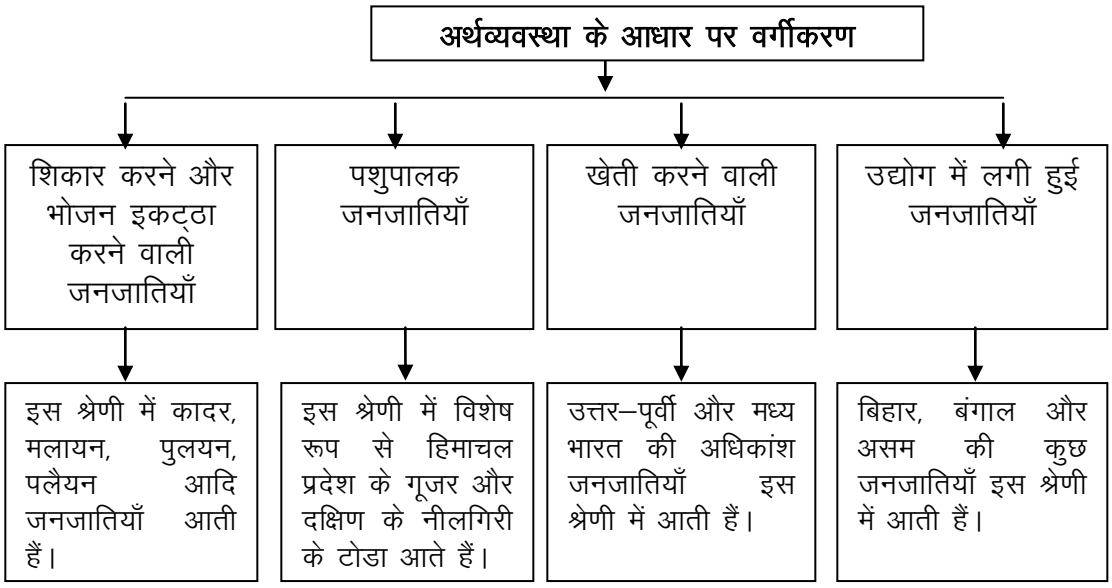

भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या : यदि हम 1951 से 2011 तक की जनजातीयों की संख्या की बात करें तो उसमें हमें कुछ बढोत्तरी नजर आती है, जो निम्न है–

तालिका–2

अनुसूचित जनजातीयों की संख्या

क्र०सं०	वर्ष	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या (प्रतिशत में)
1	1951	35.6	5.4
2	1961	43.9	6.9
3	1971	54.8	6.9
4	1981	68.5	7.6
5	1991	84.6	8.0
6	2001	102.7	8.2
7	2011	121.0	8.8

स्रोत : सेन्सस ऑफ इण्डिया, 2011।[9]

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का स्तर बढ़ा है।

तालिका–3

अनुसूचित जनजातीयों का लिंगानुपात

क्र०सं०	वर्ष	अनुसूचित जनजाति (एक हजार पुरुषों पर महिलाएँ)	राष्ट्रीय अनुपात (एक हजार पुरुषों पर महिलाएँ)
1	1971	982	930
2	1981	983	935
3	1991	972	927
4	2001	978	933
5	2011	990	940

स्रोत : जनसंख्या विभाग

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि देश में एक हजार पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं जबकि अनुसूचित जनजाति में यह अनुपात 990 है। पुराने जनसंख्या के आंकड़े भी बताते हैं कि लिंगानुपात में अनुसूचित जनजाति का रिकार्ड तुलानात्मक रूप से बेहतर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि इसकी वजह सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं में अनुसूचित जनजाति की वैचारिक स्थिति है। लेकिन सभी में लिंगानुपात की स्थिति समान नहीं है, जैसे–सिक्किम के शेरपा समुदाय में जहाँ 1000 पुरुषों पर 744 महिलाएं हैं वहीं उड़ीसा के दूध खडियासा जनजाति में लिंगानुपात 1098 है।[10]

भारत में अनुसूचित जनजातीयों के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएँ

भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातीयों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देने तथा सामाजिक निर्योग्यताओं को दूर करने के लिए संरक्षण की व्यवस्थाएँ की गयी हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 की व्यवस्थाओं के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश में अनुसूचित जनजातीयों का विवरण दिया गया है। संविधान में इन जनजातीयों के लिए जो विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं, वे निम्न हैं–

- अनुच्छेद 46 के अनुसार, अनुसूचित जनजातीयों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा की जाए और इन्हें सभी शोषण तथा सामाजिक अन्याय से बचाया जाए।
- अनुच्छेद 29, 2 के अनुसार, सरकार सरकार द्वारा संचालित अथवा सरकारी कोष से सहायता पाने वाले शिक्षालयों में उनके प्रवेश पर कोई रूकावट न रखी जाए।
- अनुच्छेद 15, 2 के अनुसार, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का उपयोग करने पर लगी रूकावटें हटाई जाएँ जिनका पूरा या कुछ व्यय सरकार उठाती है अथवा जो जनसाधारण के निमित्त समर्पित हैं।
- अनुच्छेद 25 (ख) के अनुसार, हिन्दुओं के सार्वजनिक स्थानों के द्वारा कानून समस्त हिन्दुओं के लिए खोल दिए जाएँ।
- अनुच्छेद 324, 330 और 342 के अनुसार, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातीयों के प्रतिनिधियों के लिए जनसंख्या के आधार पर 25 जनवरी, 2026 तक के लिए निश्चित सीटें सुरक्षित कर दी जाएँ।

- अनुच्छेद 316 और 335 के अनुसार, यदि सार्वजनिक सेवाओं या सरकारी नौकरियों में जनजातीय लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो सरकार को उनके लिए स्थान सुरक्षित रखने का अधिकार देना और सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीयों के दावों पर विचार करना।
- अनुच्छेद 164, 338 तथा पाँचवीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है कि, जनजातीयों के कल्याण तथा हितों के प्रयोजन से राज्यों राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषद् तथा पृथक् विभागों की स्थापना की जाए और केन्द्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए।
- अनुच्छेद 224 और पांचवीं अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है कि, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रकाशन तथा नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की जाए।
- अनुच्छेद 244 (2) के अनुसार असम की जनजातीयों के लिए जिला और प्रादेशिक परिषद् स्थापित करने का विधान है।
- संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 46 में जनजातीयों की शिक्षा की उन्नति और आर्थिक हितों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देना राज्य का विधान है।
- अनुच्छेद 19, 5 में यह प्रावधान है कि, अनुसूचित जनजातीयों के हित में में भारत में स्वतंत्रतापूर्वक आने–जाने, रहने और बसने तथा सम्पत्ति खरीदने, रखने और बेचने के आम अधिकारों पर राज्य द्वारा उचित प्रतिबन्ध लगा सकने की कानूनी व्यवस्था।[11]

यदि अनुसूचित जनजाति घोषित करने की प्रक्रिया के बारे में कहा जाए तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 365 (25) के अन्तर्गत जनजातीयों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि–(संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत आने वाली) समान जनजातीयां या जनजातीय समुदाय या ऐसी जनजातीयों या जनजातीय समुदायों के समूह अनुसूचित जनजातीयों की श्रेणी में आते हैं और अनुसूचित जनजातीयों की पहचान प्रक्रिया में–(अनुच्छेद 342 (1) के अन्तर्गत) राष्ट्रपति किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के संदर्भ में और राज्य के मामले में राज्यपाल से परामर्श के बाद जनजातीयों या जनजातीय समुदायों या उनके समूहों को अनुसूचित जनजातीयों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। यह अनुच्छेद जनजाति या उसके समूह को उनके राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में इन समुदायों को उनके लिए संविधान में प्रदत्त संरक्षण उपलब्ध कर, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर सकता है। केवल वे जनजातीयाँ अनुसूचित जनजातीयाँ मानी जाएंगी, जिनके बारे में राष्ट्रपति प्रारंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के जरिये तत्संबंधी घोषणा करेंगे। इस सूची में किसी तरह का संशोधन संसदीय कानून की धारा 342 (2) के जरिये ही किया जा सकता है। संसद कानून बनाकर किसी भी जनजाति या जनजातीय समुदाय या उससे किसी समूह को अनुसूचित जनजातीयों की सूची में जोड़ सकती है या उसे हटा सकती है। अनुसूचित जातियों की सूची राज्य विशेष के बारे में है। आवश्यक नहीं कि किसी एक राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित समुदाय को किसी दूसरे राज्य में भी अनुसूचित जनजाति माना जाए।[12]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत 700 से अधिक (इनमें से कई एक से अधिक राज्यों में हैं) अनुसूचित जनजातीयों को अधिसूचित किय गया है। ये देश के विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में फैली हैं। उल्लेखनीय है कि हरियाणा, पंजाब और केन्द्रशासित प्रदेशों चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

प्रवास पर अनुसूचित जनजातीयों के दावे भी अहम हैं कि, जब कोई व्यक्ति राज्य के उस हिस्से को जहाँ उसका समुदाय अधिसूचित है, को छोड़कर उसी राज्य के ऐसे हिस्से में जाता है, जहाँ उसका समुदाय अनुसूचित नहीं है, तब भी वह व्यक्ति उस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा। और जब कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे में प्रवेश करता है तब वह व्यक्ति केवल उसी राज्य का अनुसूचित जनजाति का सदस्य माना जाएगा जहाँ का वह मूल निवासी है, न कि उस राज्य का जहाँ वह रह रहा है।[13]

अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में उपलब्ध कराए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों तथा अन्य संरक्षणात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में स्थापित अनुसूचित जनजातीयों के आयुक्त के कार्यकाल के अलावा 1978 में अनुसूचित जनजातीयों (इसमें अनुसूचित जाति भी शामिल थी) के लिए एक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की गई थी। 1992 में इन दोनों संगठनों की जगह एक संवैधानिक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। संविधान के 338वें अनुच्छेद का संशोधन करते हुए और संविधान (89 वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से नया अनुच्छेद 338 (ए) शामिल करते हुए 19 फरवरी, 2004 को एक पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने गठन से लेकर अब तक जनजातीय विकास एवं प्रशासन संबंधी सुशासन पर अनेक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की हैं। जिनके द्वारा अनुसूचित जनजातीयों का एक सार्थक दृष्टिकोण उजागर होता है लेकिन अभी कुछ अपवाद बाकी हैं।

जनजातीय विकास के पांच मूलभूत सिद्धांत

- लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुरूप विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और हमें उन पर कोई चीज थोपने से बचना चाहिए। हमें हर तरह से उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे अपनी परंपरागत कलाओं और संस्कृति का संवर्धन कर सकें।
- भूमि और वनों से संबंधित जनजातीय अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।
- हमें उनके अपने लोगों की एक टीम बनाने और उसे प्रशिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वे प्रशासन और विकास के कार्य कर सकें। बाहर के कुछ तकनीकी कार्मिक, विशेष कर शुरु में, निश्चित रूप से आवश्यक होंगे, लेकिन हमें जनजातीय क्षेत्र में बाहर के बहुत अधिक लोगों को शामिल करने से बचना चाहिए।
- हमें इन क्षेत्रों को अति–प्रशासित या अधिसंख्य कार्यक्रमों से सराबोर नहीं करना चाहिए। हमें उनके स्वयं के सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों के माध्यम से काम करना चाहिए न कि उनकी प्रतिद्वंद्विता के साथ।
- हमें परिणामों का आकलन आंकड़ों के जरिये या खर्च की गई धनराशि के रूप में नहीं, बल्कि मानव चरित्र की गुणवत्ता के विकास के रूप में करना चाहिए।[14]

अनुसूचित जनजातीयों की वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में झारखण्ड राज्य की 70 प्रतिशत आबादी 33 आदिवासी समुदायों की है और यहाँ की 10 ऐसी जनजातीयाँ हैं, जिनकी आबादी नहीं बढ़ रही है। आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षिक रूप से कमजोर इन जनजातीयों के विलुप्त होने का खतरा है।

- बस्तर के इलाके में भी ऐसी ही स्थिति है। छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या दर में सालाना वृद्धि 4.32 प्रतिशत है, वहीं बीजापुर जैसे जिले में आबादी की बढ़ोतरी का आंकड़ा 19. 30 से घटकर 8.76 फीसद रह गया है।
- मुंडा, उरांव, संताल जैसे आदिवासी समुदाय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर आगे आए हैं। इनका अपना मध्य वर्ग उभरकर आया है। इनकी आबादी में वृद्धि देश की आबादी वृद्धि के अनुरूप ही है।
- बस्तर में गोंड, दोरले, धुरबे आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा पिछड़ रहे हैं। कोरिया, सरगुजा, कांकेर, जगदलपुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सभी जिलों में आदिवासी आबादी तेजी से घटी है। नक्सल–प्रभावित क्षेत्रों में भी आदिवासियों की संख्या कम हुई है।
- मध्य प्रदेश में 43 आदिवासी समूह हैं, जिनकी आबादी डेढ़ करोड़ के आसपास है। यहाँ भी बड़े समूह तो प्रगति कर रहे हैं, मगर कई आदिवासी समूह विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रगति करने वालों में भील–भिलाला आदिवासी समूह की आबादी सबसे ज्यादा 59 लाख के करीब है। इसके बाद गोंड समूह की आबादी 50 लाख के करीब है। इनके बाद कोल, कोरकू और सहरिया आदिवासी समुदाय हैं।
- बिरहुल या बिरहोर आदिवासियों की आबादी सिर्फ 52 है। कोंढा समूह के आदिवासी 109, परजा 137 और सौंता 190 ही बचे हैं। अब इनके यहाँ बच्चे कम होना या न होना बड़ी समस्या है। असल में, इनका समुदाय बहुत छोटा है और इनके विवाह संबंध बहुत छोटे समूह में ही होते रहते हैं। जेनेटिक कारणों से भी वंश–वृद्धि न होने की आशंका रहती है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट **ट्राइबल हेल्थ ऑफ इंडिया** के अनुसार, भारत में आदिवासियों की भौगोलिक स्थिति तेजी से बदल रही है। देश की करीब 55 प्रतिशत आदिवासी आबादी अपने पारंपरिक आवास से बाहर निकलकर निवास कर रही है। कृषि या वनोपज पर अपना जीवन यापन करने वाली जनजातीयों के लिए प्राकृतिक संसाधन कम पड़ने लगे हैं और अभाव के कारण उनका पलायन हुआ है।
- ट्राइबल हेल्थ ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक, देश में आदिवासियों की कुल 10 करोड़, 40 लाख की आबादी में से आधी से अधिक 809 आदिवासी बहुल क्षेत्रों के बाहर रहती है। इनके लिए स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है। देश भर में मलेरिया से होने वाली मौतों में 50 फीसदी मौतें आदिवासियों की होती हैं, क्योंकि वे समय के साथ जागरुक या साक्षर नहीं हो सके हैं। 42 प्रतिशत आदिवासी बच्चों का वजन उम्र के हिसाब से कम है, यह गैर–आदिवासी बच्चों से डेढ़ गुना ज्यादा है।
- प्रत्येक आदिवासी समुदाय की अपनी ज्ञान–शृंखला होती है। एक समुदाय के विलुप्त होने के साथ ही उनका कृषि, आयुर्वेद, पशु–स्वास्थ्य, मौसम, खेती आदि का हजारों साल पुराना ज्ञान भी समाप्त हो जाता है।[15]

निष्कर्ष

भारत में पारिस्थितिकीय और भू–जलवायु के बीच जनजातीयाँ अपने जीवन को सुचारु रूप से चलाने का प्रयत्न करती हैं। इसमें कुछ जनजातीयों की स्थिति तो सोचनीय बनी हुई है। कुछ समुदायों में साक्षरता का स्तर काफी कम है और कुछ जनजातीयाँ तो ऐसी हैं जिनका

अस्तित्व ही खतरे में है या हम कह सकते हैं कि उनकी आबादी स्थिर है। जनजातीयों में कुछ ऐसे भी हैं जो नई तकनीकी खेती से अपरिचित हैं और अपनी पुरानी तकनीक में ही उलझे हुए हैं। इन सबके लिए सरकारी स्तर पर कई तरह के प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन पूर्णरूप से प्रभावी नहीं हैं।

जहाँ तक इनकी स्वायत्ता का प्रश्न है यह तभी संभव है जब जमीनी स्तर के समुदायों में इसके प्रति जागरूकता लाई जाए। सूक्ष्म स्तर की नीतियों से समाधान संभव नहीं हैं क्योंकि कुछ तो आजादी मिलने के बाद से अब तक चली आ रही हैं। हमें जनजातीयों की संस्कृति को भी बचाने के विषय में सोचना चाहिए जो समय के साथ लुप्त होती जा रही है। हमें वन प्रबंधन की तकनीक पर पुनः विचार करना होगा साथ ही इनके साहित्य व जीवन–जगत के प्रति एक अलग नजरिया पेश करना होगा। जनजातीयों के मूल्यांकन में सतर्कता बरतनी होगी और इनके भविष्य के लिए समाज में नई सोच विकसित करनी होगी।

भारतीय जनजातीयों के स्वास्थ्य की स्थिति भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि बदलते पर्यावरण के कारण अब ये कई तरह की बीमारियों की चपेट आ जाते हैं इसलिए इनके प्रति एक बेहद संवेदनशील रवैया अपनाना होगा। अंततः विकास के मॉडल में जनजाति समुदाय से जुड़े पहलुओं को शामिल करना बेहद जरूरी है।

सन्दर्भ

1. योजना, जनवरी 2014, पृष्ठ सं०–43।
2. सिंह, जे०पी० (2017), 'समाजशास्त्रः अवधारणाएँ एवं सिद्धांत (तृतीय संस्करण)', पीएचआई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, पृष्ठ सं०–563।
3. धर्मेन्द्र (2008), 'समाजशास्त्र', टाटा मैक्ग्राहिल एजूकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, पृष्ठ सं०–154।
4. धर्मेन्द्र (2008), 'समाजशास्त्र', टाटा मैक्ग्राहिल एजूकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, पृष्ठ सं०–154।
5. मुकर्जी, रवीन्द्र नाथ एवं अग्रवाल, भरत (2002), 'भारतीय सामाजिक व्यवस्था', विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ सं०–333।
6. मुकर्जी, रवीन्द्र नाथ एवं अग्रवाल, भरत (2002), 'भारतीय सामाजिक व्यवस्था', विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ सं०–333।
7. धर्मेन्द्र (2008), 'समाजशास्त्र', टाटा मैक्ग्राहिल एजूकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, पृष्ठ सं०–155।
8. मुकर्जी, रवीन्द्र नाथ एवं अग्रवाल, भरत (2002), 'भारतीय सामाजिक व्यवस्था', विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ सं०–334।
9. सेन्सस ऑफ इण्डिया, 2011, रजिस्ट्र जेनरल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
10. योजना, जनवरी 2014, पृष्ठ सं०–38।
11. मुकर्जी, रवीन्द्रनाथ एवं अग्रवाल, भरत (2017), भारत का समाजशास्त्र, एस०बी०पी०डी० पब्लिकेशन्स, आगरा, पृष्ठ सं० : 106–107।
12. मुकर्जी, रवीन्द्रनाथ एवं अग्रवाल, भरत (2017), भारत का समाजशास्त्र, एस०बी०पी०डी० पब्लिकेशन्स, आगरा, पृष्ठ सं०–107।
13. मुकर्जी, रवीन्द्रनाथ एवं अग्रवाल, भरत (2017), भारत का समाजशास्त्र, एस०बी०पी०डी० पब्लिकेशन्स, आगरा, पृष्ठ सं०–108।
14. योजना, जनवरी 2014, (वेरियर एल्विन की पुस्तक 'ए फिलॉसफी फॉर नेफा' के द्वितीय संस्करण की प्रस्तावना से उद्धत), पृष्ठ सं०–1।
15. चतुर्वेदी, पंकज; 29 अगस्त, 2019, हिन्दुस्तान, देहरादून संस्करण, उत्तराखण्ड, पेज सं०–10।